

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 173/2015

दायरा दिनांक : 05.08.2015

उनवान

रामगोपाल पुत्र भंवरलाल, जाति किराड, निवासी कोटडी सुण्डा, तहसील बारां, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री मदन लाल गालव
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 05.02.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 25.06.2015 प्रकरण संख्या 80/2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण सं0 136/2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 से अपीलांट को ग्राम कोटडीसूण्डा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.16 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 80/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.06.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । माननीय राजस्व मंडल ने ऐसे ही प्रकरण में आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल कोटडीसूण्डा की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2017 की मूल प्रति सलंगन है जिसके अनुसार ग्राम कोटडीसूण्डा की आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.16 हेक्टर मौके पर से अतिक्रमी रामगोपाल पुत्र भंवरलाल किराड द्वारा अतिक्रमण छोडना पाया गया । मौके पर अक्त भूमि खाली पडी है । अतः सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 यहां चरुपा होती है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । तहसीलदार बारां अपीलांट द्वारा शपथ पत्र में कहे गये कथनों का सत्यापन कर ले । यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है । लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 05.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवती जेठवानी)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा